महत्वपूर्ण

सं. ई-22022-1/2018-रा.भा. (विविध)
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

डाक विभाग, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001
दिनांक : 20/10/2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 और इसके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुपालन के संबंध में।

संघ की राजभाषा नीति से संबंधित राजभाषा अधिनियम/नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग और डाक विभाग द्वारा समय-समय पर अनुदेश/निदेश जारी किए जाते हैं जो केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध और अधीन्स्थ कार्यालयों पर लागू होते हैं।

कृपया डाक विभाग और इसके सर्किल कार्यालयों के सभी अधिकारी इस बात पर ध्यान दें कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 और इसके अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों का उनके द्वारा यथावत पालन किया जाए। इस प्रावधान के अंतर्गत जनता द्वारा प्रयुक्त होने वाले सरकारी फॉर्म, सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट, दिशा संकेतकों, सूचना पट्ट, सरकारी योजनाओं तथा इनके प्रचार के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री और प्रतीक चिह्नों के नाम एवं होर्डिंग, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख व लेखन सामग्री की सभी मदों के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी सं.I/16034/06/2008-रा.भा.(नीति/के.अनु.ब्यूरो) दिनांक 20 जून, 2012 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करें और इसमें दिए दिशा-निर्देशों का पालन करें।

संलग्नक: यथोपरि

(ऊषा बिंजोला) 20/10/2020
निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

1. सभी डाक सर्किलों के अध्यक्ष एवं सभी डाक प्रशिक्षण केंद्रों के निदेशक
2. मुख्य महाप्रबंधक, डाक जीवन बीमा, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
3. मुख्य महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय, नई दिल्ली
4. निदेशक, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी, गाजियाबाद
5. सीईपीटी मैसूर - महाप्रबंधक सीईपीटी मैसूर को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को डाक विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी में अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
6. सहायक महानिदेशक (प्रशासन) - कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को ई-ऑफिस पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

सं.I/16034/06/2008-रा.भा.(नीति/के.अनु.ब्यूरो)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली, दिनांक 20 जून, 2012

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय:- केन्द्रीय सरकार के स्थानीय कार्यालयों द्वारा जनता द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले फार्म आदि तथा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग |

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित निदेश जारी किए गए हैं :-

(क) कार्यालय ज्ञापन सं07/9/65-रा.भा. दिनांक 25-3-1968

सभी मंत्रालय/विभाग अपने स्थानीय कार्यालयों में स्थानीय जनता की सुविधा के लिए जनता द्वारा प्रयुक्त संबंधित फार्म हिंदी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा में उपलब्ध कराएं; सरकारी कार्यालय में भरा जाने वाला खण्ड केवल हिंदी व अंग्रेजी में छपवाएं और लम्बे फार्म हिंदी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में अलग-अलग छपवाएं |

(ख) कार्यालय ज्ञापन सं01/14013/5/76-रा.भा.(क-1) दिनांक 18-6-1977

केन्द्रीय हिंदी समिति की 11-1-1977 की बैठक में दिए गए सुझाव के अनुरुप सभी मंत्रालय/विभाग हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित अपने कार्यालयों के नामों के बोर्ड और जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले नोटिस बोर्ड (i) क्षेत्रीय भाषा (ii) हिंदी और (iii) अंग्रेजी भाषाओं में इस क्रम में सभी लिपियों के अक्षर बराबर आकार के रखते हुए बनवाएं | तमिलनाडु के संबंध में 'यथास्थिति' कायम रखी जाए |

(ग) कार्यालय ज्ञापन सं01/14013/2/86-रा.भा.(क-1) दिनांक 26-2-1986

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 11 (3) के प्रावधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख व लेखन सामग्री की अन्य